

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.300085 / 2014
संस्थित दिनांक-12.08.2014

1-श्रीमती भागवतीबाई आयु 75 साल, पति स्व. श्री ओमकारप्रसाद,(विलोपित)
2-राजेन्द्र कुमार आयु 56 साल, पिता स्व. श्री ओमकारप्रसाद,
3-सचिन कुमार आयु 37 साल, पिता स्व. श्री ओमकारप्रसाद,
सभी जाति कलार, निवासी-कमांक-1 एवं 3 जबलपुर, गंगानगर गढा
एवं कमांक-2 ग्राम गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाटवादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1-ग्राम पंचायत गढ़ी, सरपंच ग्राम पंचायत गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
2-श्रीमान तहसीलदार महोदय, बैहर, जिला बालाघाट
3-श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट, जिला बालाघाटप्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-27.03.2018 को घोषित)

1- वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2- वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि ख. नं-67/2 रकबा 0.76 डि./0.308 हे. मौजा गढ़ी, प.ह.नं-53/15 रा.नि.मं. गढ़ी व तह. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर वादी क.01 के पति एवं वादी क.02, 03 के पिता ओमकार प्रसाद जायसवाल उनके जीवनकाल में कब्जे में थे। ओमकार प्रसाद जायसवाल की मृत्यु दिनांक-25.12.2010 को हुई थी, तब उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर फौती के उपरांत वादीगण का नाम दर्ज हुआ था। विवादित भूमि पर वर्ष 1954-55 के समय से स्व. ओमकार प्रसाद जायसवाल द्वारा नीलगिरी का वृक्षारोपण किया जाता रहा। विवादित भूमि पर वर्तमान में भी नीलगिरी का वृक्षारोपण है। ओमकार प्रसाद को उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर उनके नाम के स्थान पर त्रुटिपूर्वक आबादी दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, तब उनके द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में अपना नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के लिए आवेदन पेश किया था। राजस्व न्यायालय द्वारा रा.प्र.क-3 अ-6/अ/96-97 दर्ज कर भूमि के राजस्व प्रलेखों की जांच कर मौका मुआयना किया था। दिनांक-22.04.

1998 को आदेश पारित किया था, जिसमें पाया गया था कि विवादित भूमि पूर्व में 1.00 एकड़ थी, जिस पर वर्ष 1954-55 से ओमकारप्रसाद का कब्जा है। राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश कर प्रकरण समाप्त कर सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने के लिए लिखा था। ओमकार प्रसाद के आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा प्रस्ताव पारित कर 1.00 ए. भूमि को ओमकारप्रसाद के नाम पर भूमि स्वामी हक में दिये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिस भूमि में से रकबा 0.24 डि. भूमि पर रास्ता दिया था, शेष 0.76 डि. भूमि पर नीलगिरी के वृक्ष लगे हुए हैं, जिस पर ओमकारप्रसाद का हक एवं कब्जा चला आया एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का मालिकाना हक एवं कब्जा चला आ रहा है। ओमकारप्रसाद एवं वादीगण को उक्त भूमि के कब्जे से हटाने की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई है। इस कारण शासन को उक्त भूमि पर से वादीगण का कब्जा हटाने का कोई अधिकार समय सीमा के कारण भी नहीं रहा है। ग्राम पंचायत गढ़ी के तत्कालीन पंच सोमलाल द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में शामिल होकर भूमि के संबंध में ओमकारप्रसाद के पक्ष में उक्त भूमि स्वामी हक में दर्ज किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, किन्तु बाद में ओमकारप्रसाद से दुश्मनी रखते हुए उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील विधि विरुद्ध रूप से दर्ज की गई थी। विधि विरुद्ध आदेश पारित कर विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा भूमि-स्वामी हक पर दिये जाने का आदेश नियम विरुद्ध बताकर प्रस्ताव निरस्त करने एवं उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर आबादी मद दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया था। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3— प्रकरण में प्रति.क्र.01 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर संपूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा शासकीय नियमों से परे पंचायत के किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को ढाई डिसमिल जमीन देने का अधिकार था, किन्तु वादीगण के वारसानों ने तत्कालीन सरपंच से दूरभि संधि कर तहसीलदार से गलत आदेश प्राप्त कर नियम विरुद्ध शासकीय भूमि को ग्राम पंचायत का सहारा लेकर अपने नाम पर दर्ज करवा लिया था। विधिविरुद्ध आदेश होने से ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा उक्त गलत आदेश की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। उक्त शिकायत पर शासकीय कर्मचारियों ने त्रुटिपूर्ण आदेश को सुधारने का आदेश

जो भूमि के पद परिवर्तन से संबंधित है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रा.प्र.क. 40 अ/89 वर्ष 2012-13 में दिनांक-14.07.14 के आदेश के द्वारा पूर्ववत् विवादित भूमि को आबादी मद में दर्ज किये जाने एवं राजस्व प्रलेखों में आबादी मद के लिए आदेश पारित किया गया है। प्रति.क.01 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4- प्रति.क.02 एवं 03 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादीगण के संपूर्ण वादपत्र को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि वादीगण विवादित भूमि ख.नं-67/2 रकबा 0.76 एकड़/0.308 हे. को विधिविरुद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। विवादित भूमि वर्ष 1954-55 के पूर्व से आबादी मद में दर्ज चली आ रही है, जिसके व्यवस्थापन का अधिकार ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार बैहर द्वारा रा.प्र.क-148/98 दिनांक-09.06.1998 के द्वारा आवंटन के आदेश दिये जाने पर वादी क.01 के पति एवं वादी क.02, 03 के पिता का नाम दर्ज किया गया था, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा रा.प्र. क-40-अ-89/2012-2013 मौजा गढ़ी प.ह.नं-53 में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद दिनांक-14.07.2014 को विधि संगत आदेश पारित किया गया है। शासकीय आबादी मद की भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए भूमिहीन व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए आवंटित होती है, कृषि कार्य के लिए नहीं होती। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि का आवंटन व्यवस्थापन नहीं किये जाने के कारण वादीगण को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। प्रति.क.02 एवं 03 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5- प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि मौजा गढ़ी प.ह. नं-53/15 रा.नि.मं. गढ़ी, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-67/2 रकबा 0.76 डिसमिल/0.308 हेक्टेयर भूमि वादीगण के स्वत्व की भूमि है ?	“प्रमाणित नहीं”

2	क्या वादग्रस्त भूमि के विषय में राजस्व प्रकरण क्रमांक-40अ-89 / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक-14.07.2014 विधि विरुद्ध होने से वादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा विधि के प्रावधानों से बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ?	“प्रमाणित”
4.	सहायता एवं खर्च ?	वादीगण का वादपत्र निर्णय की कंडिका-15 के अनुसार निरस्त किया गया है।

—:विवेचना एवं निष्कर्ष:—

वादप्रश्न क्रमांक-01,02 का निराकरण:—

6— वादप्रश्न 01,02 एक-दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— वादी राजेन्द्र वा.सा.01 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि विवादित भूमि ख.नं-67/2 रकबा 0.76 डि./0.308 हे. भूमि हल्का नंबर-53/15 मौजा एवं रा.नि.मं. गढ़ी, तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है, जिसमें वादी क्र.02 एवं 03 के पिता एवं मृतक वादी क्र.-01 के पति स्व. ओमकारप्रसाद जायसवाल उनके जीवनकाल में कब्जे में थे। उनकी दिनांक-25.12.2010 को मृत्यु हो गई है। उसके उपरान्त विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में फौती के उपरान्त वादीगण का नाम दर्ज हुआ था। विवादित भूमि पर वर्ष 1954-55 से साक्षी के पिता का कब्जा था। उन्होंने नीलगिरी का वृक्षारोपण किया था। उक्त भूमि में वर्तमान में भी नीलगिरी का वृक्षारोपण है। साक्षी के पिता को राजस्व प्रलेखों में उनके नाम के स्थान पर त्रुटिपूर्वक आबादी दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, तब उनके द्वारा न्यायालय तहसीलदार बैहर के न्यायालय में अपना नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के लिए आवेदन दिया था। राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-3 अ-6/96-97 दर्ज कर उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों की जांच कर

दिनांक-22.04.1998 को आदेश पारित किया था। राजस्व न्यायालय के द्वारा यह पाया था कि विवादित भूमि पहले 1.00 एकड़ थी, वर्ष 1954-55 के समय से वादीगण के पिता का कब्जा था। आबादी मद में दर्ज भूमि के व्यवस्थापन का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत गढ़ी को प्राप्त है। इस कारण राजस्व प्रकरण में आदेश पारित कर सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने का आदेश कर प्रकरण समाप्त किया था। उसके उपरान्त वादीगण के पिता द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ी में विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया था। उसके उपरान्त ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा प्रस्ताव पारित कर वादीगण के पिता को 1.00 एकड़ भूमि का भूमि स्वामी मानकर आदेश पारित किया था। उक्त भूमि में से रकबा 0.24 डि भूमि पर रास्ता दिया गया था। शेष बची रकबा 0.76 डि. भूमि जिसमें नीलगिरी के वृक्ष लगे थे, उस पर वादीगण के पिता का स्वामित्व एवं कब्जा था। उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का स्वामित्व एवं कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता का विवादित भूमि से कब्जा हटाने की कोई कार्यवाही शासन के द्वारा नहीं की गई है। वादीगण के पिता का प्रकरण के समय विवादित भूमि पर कब्जा होने की जानकारी तहसीलदार न्यायालय को होने के बाद भी उनके द्वारा कब्जा आज तक नहीं हटाया है। वादीगण ने उनके पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगा. 5 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

8— लालसिंह मरकाम वा.सा.02 का कथन है कि वह ग्राम पंचायत गढ़ी में सचिव के पद पर पदस्थ है। वह ग्राम पंचायत गढ़ी का कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1998 को साथ लेकर आया था, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श पी-5 सी है, जिसमें दिनांक-04.11.1998 को ग्राम पंचायत गढ़ी की कार्यवाही में प्रस्ताव क्रमांक-2 में ख.नं-67 रकबा 1.00 एकड़ भूमि आबादी मद से निरस्त कर ओमकारप्रसाद जायसवाल को भूमि स्वामी हक दिलाने का प्रस्ताव पारित किया था। उक्त दिनांक को प्रस्ताव क्रमांक-1 से 18 पारित किया था, जिसमें सरपंच एवं पंचगण के हस्ताक्षर हैं, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 है।

9— वादी शिवाजी राव पाटिल वा.सा.03 का कथन है कि वह वर्ष 1998-99 में ग्राम पंचायत गढ़ी के सरपंच के पद पर पदस्थ था। दिनांक-04.11.1998 को ग्राम पंचायत गढ़ी के प्रस्ताव क्रमांक-2 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वर्ष 1998-99 में ग्राम पंचायत गढ़ी में 13 सदस्य थे। उक्त प्रस्ताव 7 सदस्य ने पारित किया था। प्रस्ताव के अनुसार ख.नं-67 रकबा 1.00 एकड़ भूमि जिसका पूर्व में खसरा नंबर 51 था। वर्ष 1909-10 के

रिकार्ड के अनुसार ख.नं-51 कुल रकबा 6.95 एकड़ भूमि ओमकार प्रसाद जायसवाल के भूमि स्वामी हक की थी। वर्ष 1954-55 में ख.नं-51/1 रकबा 5.95 एकड़ भूमि ओमकार प्रसाद जायसवाल के नाम पर दर्ज थी। चकबंदी में भूलवश 1.00 एकड़ भूमि आबादी भूमि घोषित कर दी गई है। उसे पुनः वर्तमान खसरा नंबर-67 में 1.00 एकड़ भूमि को भूमि स्वामी हक में देकर ओमकारप्रसाद जायसवाल का नाम दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया था। विवादित भूमि पर ओमकार प्रसाद जायसवाल का कब्जा उसके पूर्वजों के समय से चला आ रहा था, जिसमें ओमकारप्रसाद जायसवाल का नीलगिरी का प्लांटेशन लगा था। ओमकार प्रसाद जायसवाल की मृत्यु के बाद वादीगण का प्लांटेशन का लगातार कब्जा है। विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत गढ़ी एवं शासन का कभी कब्जा नहीं रहा एवं वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है।

10- सोमलाल प्र.सा.02 ने वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि वह वर्ष 1977 में ग्राम पंचायत गढ़ी में पंच निर्वाचित हुआ था। ग्राम पंचायत गढ़ी में विवादित भूमि ख.नं-67 रकबा 0.76/0.308 हे. भूमि ग्राम पंचायत गढ़ी में आबादी मद की भूमि थी, जिसका ग्राम पंचायत ने भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिए भूमि देने एवं अन्य ग्राम पंचायत की योजनाओं के लिए उक्त भूमि ग्राम पंचायत को आबादी मद से प्राप्त हुई थी। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत उक्त भूमि की देखरेख व्यवस्थापन किया जाता रहा। वर्ष 1999 में तत्कालीन सरपंच शिवाजी राव पाटिल एवं ग्राम पंचायत के 21 सदस्य थे। उसी समय दिनांक-16.01.1999 को विवादित भूमि से संबंधित प्रस्ताव पारित कर विवादित भूमि ओमकारप्रसाद जायसवाल को भूमि स्वामी हक देने का प्रस्ताव पारित किया था। उक्त प्रस्ताव में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 पंचों ने हस्ताक्षर किये थे, परंतु उस समय सरपंच सहित ग्राम पंचायत में 21 सदस्यों की संख्या थी। कोरम के अभाव में प्रस्ताव वैध नहीं माना जा सकता है। प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से पारित कर विवादित भूमि ओमकार प्रसाद जायसवाल को दी गई थी। जबकि ओमकार प्रसाद के पास पूर्व से ही लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि थी। वह भूमिहीन नहीं था, इसलिए उसको शासकीय भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं था।

11- अनुराधा धुर्वे प्र.सा.01 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वह वर्तमान में ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच है। प्रकरण की भूमि से संबंधित ख.नं-67 रकबा 0.76 डि. भूमि ग्राम पंचायत गढ़ी के शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि से संबंधित प्रस्ताव साक्षी के कार्यालय के पूर्व के हैं,

जिससे संबंधित संपूर्ण रिकार्ड पंचायत के सचिव के अधिनस्थ हैं। विवादित भूमि से संबंधित प्रकरण साक्षी के कार्यालय के पूर्व का होने के कारण उसे कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में विवादित भूमि ग्राम पंचायत गढ़ी की देखरेख में है। विवादित भूमि का व्यवस्थापन ग्राम पंचायत गढ़ी द्वारा किया जा रहा है।

12— प्रकरण में उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-1 के तहसीलदार बैहर के दिनांक-22.04.1998 के आदेश में यह उल्लेख है कि 1954-55 में चकबंदी के पश्चात् मूल ख.नं-51/1 रकबा 5.95 ए. भूमि परिवर्तित होकर उसका चकबंदी पश्चात् ख.नं-68/1 रकबा 4.55, ख.नं-68/2 रकबा 0.64, ख.नं-68/3 रकबा 0.36, ख.नं-68/4 रकबा 0.40 कुल 5.95 ए. भूमि का विभाजन होने के पश्चात् ख.नं-68/3 रकबा 0.36 डि. में लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन की सड़क, ख.नं-68/4 रकबा 0.40 डि. में बालक प्राथमिक शाला आदिम जाति कल्याण विभाग गढ़ी में म.प्र. शासन का स्कूल निर्मित होकर शासन का कब्जा हो गया है एवं आदेश में यह लिखा है कि आवेदक/वादीगण के पिता की भूमि ख.नं-67 में से रकबा 0.76 डि. भूमि के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा ख.नं-67 रकबा 1.00 ए. वर्तमान में आबादी भूमि है। इस कारण ख.नं-67 रकबा 1.00 ए. में से आवेदक के कब्जे की भूमि 0.76 डि. को आवेदक ओंकारप्रसाद के पक्ष में विधि अनुसार आवंटन अथवा व्यवस्थापन करने का क्षेत्राधिकार संहिता की धारा-244 अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत गढ़ी को प्राप्त है एवं सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के बारे में लिखा था। इसके बाद वादीगण के पिता ने आदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

13— प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-5 के प्रस्ताव द्वारा तहसीलदार बैहर के रा.प्र.क्र-148/98, दिनांक-09.06.98 के आदेशानुसार आबादी भूमि ख.नं-67 में से 76 डि. भूमि वादी क्र-1 के पति एवं वादी क्र-02, 03 के पिता के नाम से भूमि स्वामी हक में किये जाने का आदेश पारित किया था, परंतु सोमलाल प्र.सा.02 की साक्ष्य के अनुसार उक्त प्रस्ताव में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 पंचों ने हस्ताक्षर किये थे। जबकि उस समय सरपंच सहित ग्राम पंचायत में 21 सदस्य थे। कोरम के अभाव में उक्त प्रस्ताव पास हुआ था। वादीगण का पिता भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। वादीगण के पिता के नाम पर ग्राम गढ़ी में भूमि थी। इसके उपरान्त वादीगण के पिता ने ग्राम पंचायत से विवादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी हक के संबंध में अपने नाम पर प्रस्ताव पास करा लिया था। ग्राम पंचायत गढ़ी

का प्रस्ताव वैध नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी बैहर, जिला बालाघाट ने दिनांक-14.07.2014 के प्रदर्श पी-2 के आदेश के द्वारा तहसीलदार बैहर के दिनांक-09.06.98 का आदेश रा.प्र.क-148/98 को एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को नियम विरुद्ध होने से निरस्त कर दिया था एवं विवादित भूमि को पूर्वतः आबादी मद में दर्ज किये जाने के एवं राजस्व अभिलेख में आबादी मद में दर्ज की जावे। राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया जाए का आदेश दिया था। इस कारण वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं माना जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने रा.प्र.क-40-अ/89, वर्ष 2012-2013 मौजा गढ़ी, प.ह.नं-53 के संबंध में दिनांक-14.07.2012 को जो आदेश पारित किया था, वह विधि विरुद्ध नहीं है। इस कारण यह नहीं माना जाता कि उक्त आदेश वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।

वादप्रश्न कमांक-3 का निराकरण

14- प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि का तहसीलदार बैहर का रा.प्र.क-148/98 दिनांकित-09.06.1998 को एवं ग्राम पंचायत गढ़ी के दिनांक-16.01.99 के प्रस्ताव को अनुविभागीय अधिकारी बैहर ने प्रदर्श पी-2 के दिनांक-14.07.14 के आदेश के द्वारा निरस्त कर दिये हैं। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में से भू-खण्ड आवंटित करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को भूमि के मद परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। भूमि का मद परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार कलेक्टर को है। ग्राम पंचायत गढ़ी और तहसीलदार बैहर ने भूमि का मद परिवर्तन कर दिया था। उसके संबंध में वादीगण ने दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण का दावा विधि के प्रावधानों से बाधित है।

वादप्रश्न कमांक-4 सहायता एवं खर्च

15- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादित भूमि ख.नं-67/2 रकबा 0.76 डि./0.308 हे. मौजा गढ़ी, प.ह.नं-53/15 रा.नि.मं. गढ़ी व तह. बैहर, जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाकर परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1— उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
 - 2— अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय हो।
- तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / —
(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सही / —

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)